कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/08/2025

विवेक सिहं पुत्र स्व0 जगन्नाथ सिहं, निवासी गणेश नगर, सेवर रोड भरतपुर, (राज0)

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 12.03.2025

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट विवेक सिहं पुत्र स्व0 जगन्नाथ सिहं, निवासी गणेश नगर, सेवर रोड भरतपुर राज0 की अपील लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/25/203 दिनांक 06.03.2025 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर के पत्रांक एफ.40 (20) सामान्य/25/2166 दिनांक 18.03.2025 से जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना आयुक्त नगर निगम भरतपुर से सम्बन्धित होने के कारण प्रार्थना पत्र

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

धारा 6(3) के अन्तर्गत तत्समय ही कार्यालय के पत्रांक सामान्य / आर.टी. आई(57) / 2024 / 4066 दिनांक 06.05.2024 से आयुक्त नगर निगम भरतपुर को प्रेषित किया जा चुका है साथ ही पत्रांक 4067–68 दिनांक 06.05.2024 से प्रार्थी को भी सूचित किया जा चुका है।

उक्तानुसार प्राप्त जबाब के अवलोकन से जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी / अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तत्समय ही आयुक्त नगर निगम भरतपुर को प्रेषित किया जाकर प्रार्थी को भी सूचित किया जा चुका है। इससे जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं होने के कारण अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर